· उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनगाग-7 संख्या- 146 / xxvn(7)02 / 2016 देहराद्नः दिनांकः 09 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर अधोहरताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपमोक्ता मूल्य सूबकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपृति हेत् वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुमाग-7 के ₩0-269/XXVII(7)02/2016 07 नवम्बर, 2017 द्वारा अपूनरीक्षित पेंशन पर 268% की पूर्व दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2018 री पेंशन पर 274% की दर रो महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष खीकृति प्रदान करते है।

- मंहगाई राहत की ऐसी घनराशि जिसमें एक रूपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।
- यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों राथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पें□ानरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विमाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के गुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः रवीकृत महगाई राहत का भूगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- गहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्मत शासनादेशों में निर्धारित थे. यथावत् लाग् रहेंगे।

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 146 /XXVII(7)02/2016 Dehradun: Dated:09 May, 2018

## Office Memorandum

पांचवे वेतन आयोग के अनुसार अपूनरीक्षित पेशन Subject: Grant of Dearness Relief to Civil /Family Pensioners. who draw this pension is Pre-revised Pay scale as per 5th Pay Commissions.

> The Undersigned is directed to say that to compensate the rise in the Consumer Price Index the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates for pensioners w.e.f. 01-01-2018 @ 274% for unrevised pension superseding the earlier rates of 268% for unrevised pension as sanctioned vide this Office G.O. No. 269/XXVII(7)02/2010 dated 07 November, 2017.

- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.
- These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.
- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.
- As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

8ingh Negi)

Contd...2

संख्या— 146 / XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक। प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- समस्त अपर गुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजिनक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहगति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- सामस्त गुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी अत्तराखण्ड।
- 9. उप निदेशक, राजकीय भुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शारानादेश की 100 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।

.

## No /46/XXVII(7)02/2016 Above dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretary Incharge, Govt. of Uttarakhand.
- 2. Principale Secretary/Secretary, Pubic Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 3. All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 4. All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 7. Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 100 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
- 10. Director, NIC Dehradun.

आइ॥ रो, (अभित सिंह नेगी) सब्रिव।

(Amit Singh Negi)
Sceretary